

बिहार सरकार
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

पत्रांक :- 6ए0/प्रयोग 02 - 102/2015 - 806 पटना - 15 दिनांक :- 30.03.15

सेवा में,
महालेखाकार,
बिहार, पटना।

विषय - पटना में स्थित राज्य स्तरीय प्रयोगशाला, पटना के उन्नयन हेतु 25.229 लाख रुपये (पच्चीस लाख बाईस हजार नौ सौ रुपये) मात्र की राशि पर राज्य योजना अन्तर्गत प्रस्तुत योजना की स्वीकृति।

आदेश - पटना में स्थित राज्य स्तरीय प्रयोगशाला के उन्नयन हेतु 25.229 लाख रुपये (पच्चीस लाख बाईस हजार नौ सौ रुपये) मात्र की राशि पर प्रस्तुत योजना की प्रशासनिक स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाती है।

2. पटना के छज्जूबाग में स्थित राज्य स्तरीय प्रयोगशाला को उन्नयन किया जाना है। इस योजना को एक वर्ष में पूरा करने का लक्ष्य है।

3. इस योजना पर होने वाला योजना व्यय बजट का मुख्य शीर्ष - 4215-जलापूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय - उपशीर्ष - 01-जल पूर्ति - लघु शीर्ष - 102-ग्रामीण जल पूर्ति - मांग संख्या - 36 - उपशीर्ष - 0125-जलगुणवत्ता की मोनेटरिंग एवं प्रयोगशाला का उन्नयन - विपत्र कोड - P421501/20125 - राज्य योजना स्कीम कोड - PUB-5607 - विषय शीर्ष - 27 01 लघु कार्य मतदेय शीर्ष में भारितव्य होगा।

4. इस योजना के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी कार्यपालक अभियन्ता, लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल, पूर्व होंगे। योजना पर होने वाला व्यय स्वीकृत राशि तक सीमित रहेगा। राशि की निकासी पटना कोषागार से की जायेगी।

5. इस राशि में से स्थापना पर कोई व्यय नहीं किया जायेगा और न ही कोई नया पद सृजित किया जायेगा।

6. इसके नियंत्री पदाधिकारी अभियन्ता प्रमुख -सह- विशेष सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग होंगे।

7. राज्य सरकार द्वारा वित्त विभाग द्वारा प्रस्तुत योजना मंदा में स्वीकार की शर्तों पर अनु शाब्दिकता का प्रत्यावाजन से संबंधित वित्त विभाग के आदेश संख्या - एम4-53/2007/96 वि०(2) दिनांक - 03-01-08 के आलोक में इस योजना की स्वीकृति दी जाती है।

8. वर्ष 2017-18 का वार्षिक योजना उद्देश्य एवं बजट उपबंध में इसके लिए प्रावधान है।
9. इस योजना के अन्तर्गत वित्तीय सहायक की सहमति प्राप्त है।

AA 30/3
(अंशुली आर्या)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक - 6ए0/प्रयोग 02 - 102/2017 - 806 पटना, दिनांक - 30.03.17

प्रतिलिपि - वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार / कल्याण विभाग / जिला पदाधिकारी, पटना / कोषागार पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. प्रधान सचिव के आप्त सचिव / अभियन्ता प्रमुख -सह- विशेष सचिव / मुख्य अभियन्ता (नागरिक) / मुख्य अभियन्ता (रूपांकण) / मुख्य अभियन्ता (यांत्रिक) / विशेष पदाधिकारी / अधीक्षण अभियन्ता (मो०) / कार्यपालक अभियन्ता (मो०) / उप निदेशक (मू०) / कार्यपालक अभियन्ता (मो०/मू०) / सहायक अभियन्ता (मूल्यांकण) / प्रशाखा - 4 / 6 / कम्प्यूटर प्रोग्रामर / आई० टी० मैनेजर, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3. राष्ट्रीय मुख्य अभियन्ता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, पटना / अधीक्षण अभियन्ता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण अंचल, पटना / कार्यपालक अभियन्ता, लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

8

AA 30/3
(अंशुली आर्या)
प्रधान सचिव